न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना–कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :– श्री गुलाब सिंह वर्मा, आर.ए.एस

वादीगण :–

1. हेमाराम पुत्र मिठुराम जाति नायक
   निवासी मालास गुसाईया
2. सम्पत पुत्र मिठुराम जाति नायक
   निवासी मालास गुसाईया तह. परबतसर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. धन्नी देवी पत्नि मोतीराम वर्तमान
   पत्नी करण जाति नायक नि. सीकर
2. तहसीलदार परबतसर

दावा बाबत् :– घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री गजराज चोहान अधिवक्ता वादी
मुकदमा नम्बर :– 2021/212

निर्णय दिनांक :–13.08.2024

निर्णय

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गजराज चोहान ने यह वाद पेश किया है कि ग्राम मालास गुसाईया की राजस्व सीमा में खसरा नम्बर 585 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नम्बर 586 रकबा 0.0400 हैक्टर, खसरा नम्बर 593/1 रकबा 0.5200 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.0300 हैक्टर, खसरा नम्बर 608 रकबा 01.9000 हैक्टर जमीन स्थित है। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पहले पति मोतीराम तीनों संगे भाई थे। मोतीराम के देहान्त के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने पुष्कर के लड़के के साथ विवाह किया। जिसका देहान्त सडक दुर्घटना मे हो गया, प्रतिवादी संख्या 1 ने उसका क्लेम भी प्राप्त किया। इसी दौरान प्रविादी संख्या 1 तीसरे व्यक्ति से शादी कर ली जो सीकर निवासी है। उपरोक्त जमीन उस समय वादीगण के पिता मीठूराम जी के नाम थी। मीठुराम जी के देहान्त के पूर्व मोतीराम की मृत्यु हो गई थी। जिसका विरासत नामान्तकरण नही खुला था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने ससुर मीठुरामजी की मृत्यु से पूर्व ही पुष्कर में दूसरी शादी कर ली थी। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त जमीन में दूसरी शादी करने से हक नहीं रहा। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से खसरा नम्बर 585,586 की जमाबन्दी में क्र.स. 10, 23, 27 पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की वल्दीयत गलत दर्ज है। सही क्र.स. 9, 22, 28 है, चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 उक्त जमीन में कोई हक हिस्सा नहीं है। केवल नुमाईशी इन्द्राज है। इसलिए प्रतिवादी 1 का नाम हटाया जाकर तथा वादीगण की वल्दीयत उपरोक्त वर्णन अनुसर दुरूस्त करके वादीगण का खातेदारी हक घोषित किये जाने की इस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

दावा वादी वकील द्वारा दर्ज करया जाने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिय सम्मन/नोटिस तामिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन रजिस्ट्रर्ड डाक से तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई व प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 राजहित निहित नहीं होने से जवाब पेश नहीं किया, जिससे जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में लगाई गई जिसमें वादी हेमाराम व गवाह रामदेवराम व रामकुवार के शपथ–पत्र पेश किये। वादी वकील ने और साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य वादी बन्द कर पक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। वादीगण का कथन है कि धन्नी देवी प्रतिवादी संख्या मौतीराम की मुत्य के बाद पुष्कर के लडके के साथ विवाह किया। जिसकी भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर दुर्घटना क्लेम की राशी बतौर पत्नी न्यायालय से प्राप्त की। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या वर्तमान में इस जमीन पर काबिज काश्त नहीं है। अतः दावा वादी डिक्री फरमाया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में साक्ष्य शपथ–पत्र हैमाराम, रामदेव, रामकुंवार एवं निर्णय न्यायाल हाजा का मुकदमां नम्बर 91/2017 निर्णय दिनांक 09.01.2018 बतौर सबूत पेश किया।

हमने वकील वादी को सुना व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तो वादी ने दावा घोषणा का पेश किया की प्रतिवादी संख्या 1 से उक्त जमीन पर हक–हकूक नहीं है। क्योंकी प्रतिवादी संख्या 1 धन्नी देवी, श्री मोतीराम की पत्नी थी जो मोतीराम के स्वर्गवास होने पर पुष्कर के लड़के के साथ बतौर पत्नी निवास करती थी। प्रतिवादी संख्या 1 पुष्कर निवासी लड़के की सड़क दुर्घटना में मृत्यू होने पर न्यायालय से क्लेम भी प्राप्त किया है। इस प्रकार मोतीराम व दीपक के देहान्त होने के पश्चात तीसरे व्यक्ति से शादी कर ली जो सीकर निवासी है। जिससे जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक तामिल करवाने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर के निर्णय दिनांक 03.06.2016 में भी प्रतिवादी संख्या 1 का अन्य व्यक्ति के साथ बतौर पत्नी निवास करना एवं पुष्कर निवासी लड़के की मृत्यु होने पर पत्नी के रूप में क्लेम उठाए जाने से मोती राम की सम्पति में किसी प्रकार का अधिकारी नहीं होना व मोतीराम की विधीक वारिस स्वीकार नहीं कि जा सकती क्योंकी मोतीराम के कोई जायन्दा सन्तान नहीं है। इस संबंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में भी मुकदमा नम्बर 91/2017 दिनांक 09.01.2018 सम्पत लाल बनाम धन्नीदेवी एवं निर्णय दिनांक 03.06.2016

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

में भी धन्नी देवी को मोतीराम का विधिक वारिस नहीं माना है। एवं मोतीराम के कोई जायन्दा संतान नहीं होने के कारण उसके विधिक वारिस उसके भाई / वादीगण ही होगें। इस प्रकार वादग्रस्त भूमी में प्रतिवादी संख्या 1 का काई खातेदारी अधिकारी नहीं बनते तथा गलत रूप से खातेदारी दर्ज की गई है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजात एवं साक्ष्य शपथ–पत्र के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम मालास गुसाईया की जमीन खसरा नम्बर 585, 586 वादीगण की वल्दीयत में मिठूराम का नाम सही दर्ज किया जाना व ग्राम मालास गुसाईया की जमीन के खसरा नम्बर 585, 586, 593/1, 605, 608 में प्रतिवादी संख्या 1 धन्नी देवी पत्नी मिठुराम का नाम हठाये जाने के आदेश दिए जाकर वादीगण के हक में खातेदारी अधिकार घोषित किए जाते है। निर्णय अनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाए। पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

परबतसर